फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

चरनसिंह बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 24 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24.03.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट चरनसिंह पुत्र बहोरीराम निवासी विकास नगर नये अस्पताल के पास तहसील व जिला भरतपुर की अपील जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लौटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर सम्भाग भरतपुर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०	